

कार्यालय प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक,
जवाहर लाल नेहरू आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एवं सामुहिक चिकित्सालय संघ,
अजमेर।

क्रमांक : एमसीए/शैक्षणिक-II/2019/ 1721

दिनांक: 03/8/19

कार्यालय-आदेश

ज.ला.ने. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, अजमेर में यू.जी. एडमिशन बोर्ड-2019 द्वारा आवंटित एन.आर.आई. कोटा सीट से प्रवेशित विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि चैयरमैन, यू.जी. काउंसिलिंग बोर्ड-2019 द्वारा एन.आर.आई. कोटे से प्रवेशित विद्यार्थियों से ली जाने वाली फीस का प्रति अमेरिकन डॉलर का भारतीय मुद्रा में Conversion राशि दिनांक 02.08.2019 (भारतीय स्टेट बैंक के अनुसार) लिये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। ज.ला.ने. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय की एन.आर.आई. कोटा सीट की कुल फीस रु 73,80,450/- है। उक्त क्रम में लेख है कि प्रबन्धक, भारतीय स्टेट, बैंक, अजमेर द्वारा प्रदान भारतीय मुद्रा की राशि प्रति अमेरिकन डॉलर राशि रु 70.07/- है।

अतः महाविद्यालय में प्रवेशित एन.आर.आई. कोटा सीट की कुल फीस निम्न प्रकार है :-

NRI QUOTE COLLEGE FEE

S.No.	Fee Head	Amount in Rs.	
Part (A) College Fee			
1	Tuition Fee	1.05 Lakh \$ * 70.07 Rs. (One time for Full Course)	73,57,350/-
2	Sports & Academic Fee	8,800/- (Every Year)	8,800/-
3	Admission Fee	Only Once	11,000/-
4	Non-Refundable Caution Security Money	Only Once	3,300/-
Seventy Three Lakhs Eighty Thousand Four Hundred & Fifty Only.			73,80,450/-
Part (B) Boarding & Lodging Charges			
1	Hostel Maintenance Charges for Single Seated Room	Every Year	16,500/-
2	Hostel Maintenance Charges for Double Seated Room	Every Year	11,000/-
3	Electricity & Water Charges	Every Year	6,600/-
4	Infrastructure Development & welfare Fund	Every Year	4,400/-
5	Non-Refundable Security	Only Once	2,200/-

नोट :-

1. एन.आर.आई. कोटा सीट पर प्रवेशित समस्त विद्यार्थियों को निर्देशित किया जाता है कि Part A (2,3,4) एवं Part B (1,2,3,4 & 5) के लिये राशि में राज्य सरकार द्वारा यदि भविष्य में कोई परिवर्तन किया जाता है तो वो प्रभावी होगा व छात्रों को अंतर राशी जमा कारानी होगी।
2. हॉस्टल फीस छात्रावास में कक्ष आवंटन के बाद ही जमा की जावगी।
3. कि Part A (2,3,4) एवं Part B (1,2,3,4 & 5) में 10 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि होगी।
4. एन.आर.आई. कोटा की सीट हेतु पूर्व में आवंटन पश्चात जमा कराई राशि के पश्चात अंतर राशि ही जमा कराये।

क्रमांक/ /शैक्षणिक-II/एमसीए/2019

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट शासन सचिव एवं आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. सचिव, मेडिकल काउंसिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली।
4. अति० निदेशक (प्रशा०), निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
5. अति० निदेशक (शैक्षणिक), निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
6. अध्यक्ष, यू.जी. एडमिशन बोर्ड एवं प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक, एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज, जयपुर।
7. रजिस्ट्रार, आर.यु.एच.एस., जयपुर।
8. प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक, समस्त राजकीय एवं राजसेस, मेडिकल कॉलेज, राजस्थान।
9. अतिरिक्त प्रधानाचार्य प्रथम/द्वितीय/तृतीय, इस महाविद्यालय को।
10. प्रभावी चिकित्सा अधिकारी, शैक्षणिक शाखा/एम.ई.यु. कोर्डिनेटर एम.बी.वी.एस. पाठ्यक्रम कार्यक्रम, इस महाविद्यालय को।
11. प्रभारी अधिकारी, कमप्युटर सेल, इस महाविद्यालय को, महाविद्यालय वेबसाईट की अपलोड करने हेतु।
12. निजी सहायक, प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक, इस महाविद्यालय को।

प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक